

पंजीकृत  
प्रेषक,

राज्य लोक सूचना अधिकारी—कम उप निदेशक (पी एण्ड आई)  
कार्यालय निदेशक, ई.एस.आई स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा,  
एस.सी.ओ 803, एन.ए.सी, मनीमाजरा, चण्डीगढ़।

रेवा में,

Sh. Ram Kumar Dahiya,  
House No.1807, Sector-6, Bahadurgarh  
Jhajjar (Hr)124507

यादि कमांक 6/1(361)—ई.एस.आई—आर.टी.आई.—3जी—2016 / 8554  
दिनांक २७-७-१६

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

आप द्वारा मांगी गई सूचना निदेशालय में उपलब्ध शाखा के रिकार्ड अनुसार आपको प्रेषित की जाती है।

विभाग द्वारा प्रदत सूचना से सहमत ना होने की स्थिति में आप प्रथम अपीलिएट अथोरिटी—कम—निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा, एस.सी.ओ 803, एन.ए.सी, मनीमाजरा, चण्डीगढ़ को अपील कर सकते हैं।

संलग्न:- 4पेज।

*R coeq*  
१) राज्य जन सूचना अधिकारी—कम—सह—उप निदेशक (पी एण्ड आई)  
कार्यालय निदेशालय, ई.एस.आई. हैल्थ केयर, हरियाणा।

यादि कमांक 6/1(361)—ई.एस.आई—आर.टी.आई.—3जी—2016 / 8555           दिनांक २७-७-१६  
इसकी एक प्रति राज्य जन सूचना अधिकारी—कम—संयुक्त श्रम कार्यालय श्रम आयुक्त श्रम विभाग, हरियाणा के पत्र दिनांक 08.07.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- 4पेज।

*R coeq*  
१) राज्य जन सूचना अधिकारी—सह—उप निदेशक (पी एण्ड आई)  
कार्यालय निदेशालय, ई.एस.आई. हैल्थ केयर, हरियाणा।

FIMS  
8603  
२५-७-१६

४३/२५/२०१६

m/s  
Emp  
२५/७/१६

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने वारे— श्री राम कुमार दहिया —

क्या राज्य जन सूचना अधिकारी—कम—उप निदेशक (पी० एण्ड आई०) अपने अशा० पत्र क्रमांक 7188, दिनांक 15.7.2016 की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

विषयाधीन मामले मे श्री राम कुमार दहिया मकान नं० 1807, सैकटर-6, बहादुरगढ़ हरियाणा द्वारा मांगी गई सूचना निम्न प्रकार से तैयार करके आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

<p>मै आपसे ये जानकारी चाहता हूं कि विभाग ई०एस०आई० हैत्थ केयर हरियाणा में वर्तमान निदेशक डा० अनिल मलिक से अधिक शैक्षणिक योग्यता उनसे अधिक सेवा/कार्यकाल की अवधि व उनसे आयु में अधिक कौन-2 से अधिकारी/चिकित्सक हैं और उनकी सेवाओं में क्या-2 त्रुटियां पाई गई जिस कारण उनको निदेशक नियुक्त नहीं किया गया। अगर निदेशक के पद पर नियुक्ति में कोई रोग (लंबी बिमारी) शारीरिक अदक्षता बाधा बनती है तो कृप्या विस्तृत विवरण दें।</p>	<p>इस बारे में सूचित किया जाता है कि इस विभाग में स्वास्थ्य विभाग के नियम लागू होते हैं। इन नियमों अनुसार निदेशक के पद पर सिविल सर्जनों में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाती है। जब डा० अनिल मलिक को निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था उस समय इस विभाग में डा० अनिल मलिक, 4.01.2013 से डा० गजराज आनन्द 12.4.2013, से व डा० रजनी गुप्ता 12.4.2013, से सिविल सर्जन के पद पर कार्यरत थे इस प्रकार सिविल सर्जन के पद पर किसी भी अधिकारी का सेवाकाल इनसे अधिक अवधि का नहीं था तथा उक्त दोनों सिविल सर्जन इनसे कनिष्ठ थे। इनकी शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है— डा० अनिल मलिक एम०डी० मैडीसिन, डा० गजराज आनन्द एम०बी०बी०एस० तथा डा० रजनी गुप्ता एम०डी० गायनी है। इस प्रकार इन से अधिक शैक्षणिक योग्यता किसी की नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि नियमानुसार निदेशक के पद पर नियुक्ति में रोग (लंबी बिमारी) शारीरिक अदक्षता व आयु का कोई विवरण नहीं है। विभागीय नियमों की प्रति साथ संलग्न है।</p>
--	---

संलग्न : उपरोक्त।

—Anil Kumar  
डीमड ए०एस०पी०आई०ओ०  
—कम—उप अधीक्षक, स्था०—११  
pmk

सेवा में,

राज्य जन सूचना अधिकारी—कम—  
उप निदेशक (पी० एण्ड आई०)।

अशा पत्र क्रमांक 21/120-ई एस आई-स्था-ग-3-2016/ 1270

दिनांक २५-७-१६



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 18, 2014 (ASADHA 27, 1936 SAKA)

हरियाणा सरकार

स्थान्त्रिक विभाग

अधिसूचना

दिनांक : 18 जुलाई, 2014

संख्या 25/7/2007-H.E.S.I.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 393 के परन्तुक द्वारा प्रदूषित शवित्रीयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल चिकित्सा (वर्ग क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

### भाग—I — सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा रिविल चिकित्सा (वर्ग क) सेवा नियम, 2014 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम नम्बर  
प्रारम्भ।  
 (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. इन नियमों में जब एक संदर्भ तँ अन्यथा अंकित न हो—  
 (क) 'आयोग' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;  
 (ख) 'सीधी भर्ती' के अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो, पदोन्नति से या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;  
 (ग) 'सरकार' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार;  
 (घ) 'संस्था' से इनिहाय है—  
 (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या  
 (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;  
 (ड.) 'मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय' से अभिप्राय है—  
 (i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय या  
 (ii) कोई ऊर्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो; तथा



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 18, 2014 (ASADHA 27, 1936 SAKA)

हरियाणा सरकार

स्थान्त्रिय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2014

संख्या 25/7/2007-HSL.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक हाज प्रदूषित शोषणों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राष्ट्रपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल चिकित्सा (वर्ग क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उन्हीं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

### भाग—I — सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल चिकित्सा (वर्ग क) सेवा नियम, 2014 कहे जा सकते हैं।  
 (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
  - (क) 'आयोग' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग,
  - (ख) 'सीधी भर्ती' ते अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो, पदोन्नति से या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
  - (ग) 'सरकार' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार।
  - (घ) 'संस्था' से अभिप्राय है—
    - (i) हरियाणा राज्य में जागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
    - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;
  - (ङ.) 'मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय' से अभिप्राय है—
    - (i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय या
    - (ii) कोई उच्च विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो; तथा

संक्षिप्त नाम तथा

प्राप्तम्।

परिनामाएँ।

Price : Rs. 5.00

(2695)

CHIEF MINISTER,  
E.S.I. Welfare Council, Haryana  
27-7-16

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, यदि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त सत्त्वा उनके लिए आवश्यक रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकती है, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जाएंगे।

## 8. कोई भी व्यक्ति—

निरहताएं।

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर दी है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञाय है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

## 9. (1) सेवा में भर्ती नियन्त्रिति ढंग से की जाएगी :—

भर्ती का ढंग।

- (क) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं की दशा में :—  
अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं में से पदोन्नति द्वारा ;
- (ख) अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं की दशा में :—  
निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं में से पदोन्नति द्वारा ;
- (ग) निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं की दशा में :—  
सिविल सर्जन में से पदोन्नति द्वारा ;
- (घ) सिविल सर्जन की दशा में :—  
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ;
- (इ) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की दशा में :—

(i) 75 प्रतिशत चिकित्सा अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

## (2) चिकित्सा अधिकारी की दशा में :—

(i) सीधी भर्ती द्वारा या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा

(2) सभी पदोन्नतियों जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी और केवल ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु :—

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि गिनी जायेगी ;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष या उच्चतर पद पर किये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन, नियत परिवीक्षा अवधि की दशा में गिनने के लिए अनुज्ञात की जा सकती है; और
- (ग) स्थानान्तरण नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधिके रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने इस प्रकार स्थानान्तरण रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित

*Attaque*  
S.S. DEPARTMENT OF PUBLIC RELATIONS  
HARYANA GOVERNMENT  
X-16

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी मर्ती के लिए शैक्षणिक अहंताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी मर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अहंताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	नहानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	—	पदोन्नति द्वारा अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर।
2	अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	—	पदोन्नति द्वारा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर।
3	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	—	पदोन्नति द्वारा सिविल सर्जनों में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर।
4	सिविल सर्जन	—	पदोन्नति द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर।
5	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	<p>(i) एम०सी०आई० द्वारा ऐसे रूप में मान्यता प्राप्त एम०डी० या एम०एस० डिग्री या पी०जी० डिप्लोमा</p> <p>(ii) एम०डी०/एम०एस० उपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा व्यवसाय/अस्पताल अनुभव में पांच वर्ष की प्रतिष्ठा;</p> <p>या</p> <p>पी०जी० डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद चिकित्सा व्यवसाय/अस्पताल अनुभव में सात वर्ष की प्रतिष्ठा;</p> <p>या</p> <p>एम.बी.बी.एस. पास करने के बाद किसी राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव एम०डी०/एम०एस० उपाधि प्राप्त करने के बाद का होना चाहिए;</p> <p>या</p> <p>एम.बी.बी.एस. पास करने के बाद किसी राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में 12 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव पी०जी० डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद का होना चाहिए;</p>	<p>पदोन्नति द्वारा :</p> <p>एच०सी०एम०एस० में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारियों में से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर।</p> <p>स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा :</p> <p>(i) एम०सी०आई० द्वारा ऐसे रूप में मान्यता प्राप्त एम०डी० या एम०एस० डिग्री या पी०जी० डिप्लोमा</p> <p>(ii) एम०डी०/एम०एस० उपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा व्यवसाय/अस्पताल अनुभव में पांच वर्ष की प्रतिष्ठा;</p> <p>या</p> <p>पी०जी० डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद चिकित्सा व्यवसाय/अस्पताल अनुभव में सात वर्ष की प्रतिष्ठा;</p> <p>या</p> <p>एम.बी.बी.एस. पास करने के बाद किसी राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव एम०डी०/एम०एस० उपाधि प्राप्त करने के बाद का होना चाहिए;</p> <p>या</p>

SO. EXR. NO. 2014  
P.S.I. Head Office, Haryana.  
25-7-16